>

Title: Need to curb the unscrupulous activities of chit fund companies in the country.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): नॉन बैंकिंग (चिट फंड) संस्थाएं धड़ल्ले से गरीब कमजोर वर्ग की कमाई को प्रलोभन देकर लूट रही हैं। बिहार प्रदेश में इस तरह की 500 संस्थाओं ने गत 4-5 वर्षों से अपने धंधे को काफी आगे बढ़ाया है तथा करीब 2500 करोड़ रूपये से भी अधिक रूपये की धोखा-धड़ी की है। सभी संस्थाएं या तो बिहार प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में निबंधित है। संस्थाएं राज्य की कोऑपरेटिव एक्ट के तहत निबंधित की गई है जिनका अधिकार व्यापार के लिए सदस्यों की सीमा तक ही सीमित है। अगर सभी निबंधित संस्थाएं सदस्यों से अलग आम लोगों को प्रलोभन देकर बड़ी धनराशि लगातार इकट्ठा करते रहे हैं तथा स्थिति यहां तक चली आई है कि लोगों ने अपने परिश्रम से अर्जित धन बैंकों में न जमाकर इन संस्थाओं में अधिक धन वापसी की काल्पनिक राशि के लिए लगातार जमा करते गए और अब पूरी राशि डूब गई या डूबने के कगार पर है।

बिहार राज्य में पूर्व में भी इस तरह की संस्थाओं ने भारी ठगी की थी जिसकी जानकारी होने पर वर्ष 2000 में तत्कालीन सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठन कर जांच कराई थी तथा भविष्य में इस तरह का अपराध् न होने देने के लिए सभी तत्कालीन संस्थाओं पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक से अनुरोध किया था क्योंकि इन संस्थाओं ने तत्कालीन कानून के मुताबिक लाइसेंस प्राप्त कर समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों से अर्जित धन को लूटकर उन्हें बर्बाद कर रहे थे।

वर्षों तक बिहार राज्य में यह कार्य बंद रहा लेकिन गत् 4-5 वर्षों में बिहार तथा बंगाल में और मुख्यतः बिहार राज्य में जो हुआ उससे एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि लाखों लोग लुट गए तथा अनेकों लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। लोगों से धन जमा करने की इजाजत यदि केवल बैंकों को है तब ये संस्थाएं कैसे सामान्य बैंक की तरह धन जमा लेते हैं तथा यदि संस्थाएं भाग खड़ी हों तो धन वापसी का कोई गारंटर क्यों नहीं है ?

मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह के आपराधिक कृत्य को रोकने का प्रयास किया जाये तथा यदि मौजूदा कानून में कोई कमी हो तो इस तरह के संस्थाओं पर कानून बनाकर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए एवं जिन संस्थाओं ने ठगी का अपराध किया है उन्हें दंडित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए।